प्रतियोगिता | जिला स्तरीय गिल्ली-डंडा प्रतियोगिता का समापन

जनपद की टीमों ने दिखाया दम, पनागर रही अव्वल

जपं पनागर की विजेता टीम ट्रॉफी के साथ

प्रतियोगिता के दौरान जिपं सीईओ अभिषेक गहलोत खेल का आनंद उठाते हुए

नवभारत, जबलपुर। देशी और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला पंचायत द्वारा रविवार को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के खेल परिसर में जिला स्तरीय गिल्ली-डंडा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जनपद स्तर पर विजेता रही टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में जनपद पंचायत पनागर की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया।

विजेता टीम को पुरस्कार राशि प्रदान करते विधायक एवं जनप्रतिनिधि

ये रहे उपस्थित

इस अवसर पर विधायक अजय विश्नोई, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत तथा अति पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा सहित जिला एवं जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पनागर को मिला 21 हजार का इनाम

विजेता टीमों को नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रथम स्थान पर 21 हजार रुपये, द्वितीय को 11 हजार रुपये और तृतीय स्थान पर 5100 रुपये की राशि दी गई। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों को 1100 रुपये का सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किया गया। जानकारी के अनुसार प्रत्येक जनपद पंचायत की टीम में सात खिलाड़ी (दो रिजर्व सहित), एक कोच और एक मैनेजर शामिल रहे।

जैविक हाट में खरीदारों की बढ़ रही संख्या

▸ हर रविवार सजता है विश्वास का बाजार

नवभारत, जबलपुर। जिला प्रशासन जबलपुर एवं कृषि विभाग के संयुक्त प्रयासों से कृषि उपज मंडी जबलपुर में प्रत्येक रविवार को आयोजित किए जा रहे जैविक हाट में लगातार खरीदारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस रविवार को आयोजित जैविक हाट में जिले के विभिन्न विकासखण्डों से आये लगभग 23 जैविक कृषकों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया। हाट में फल, सब्जियां, अनाज, दलहन, देशी घी, दुग्ध उत्पाद, शहद सहित विभिन्न रसायन मुक्त एवं प्राकृतिक उत्पाद उपलब्ध रहे, जिन्हें उपभोक्ताओं द्वारा विशेष रूप से सराहा गया। जैविक हाट में मझौली विकासखंड के किसानों द्वारा लाई गई ताजी जैविक सब्जियों को भी उपभोक्ताओं ने काफी पसंद किया।

विभिन्न जैविक उत्पाद रहे आकर्षण का केंद्र

जैविक हाट में 'ड्रोन दीदी' सपना काछी द्वारा देशी उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। गोकलपुर बरगी के देशी घी, छाछ एवं देशी हल्दी, श्री रघुवीर कृपा उद्योग के मूंगफली एवं ड्राई फ्रूट फ्लेवर गुड़, अर्चना गोविंद प्राकृतिक कृषि फार्म के जैविक खाद्य सामग्री, गोबर के उपले, अनाज एवं दलहन तथा गोदावरी जैविक कृषि फार्म बरेला के कमरख, अमरूद, सुजाता गेहूं का आटा, कुटकी एवं जैविक मसाले प्रदर्शित किए गए। इसी प्रकार के पी सिंह के रेड डायमंड प्रजाति के अमरूद एवं स्ट्रॉबेरी, भाग्योदय ऑयल मिल के तिल, सरसों, मूंगफली एवं नारियल का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल तथा विश्वकर्मा नर्मदा प्रसाद जैविक मार्ट के लौकी, धनिया, मटर एवं शहद सहित विभिन्न जैविक उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे।

कृषि अधिकारियों ने लिया जायजा

उप संचालक कृषि डॉ एस के निगम ने जैविक हाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं किसानों को जैविक उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।अनुविभागीय कृषि अधिकारी सिहोरा मनीषा पटेल के नेतृत्व में विकासखण्ड मझौली के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आर.एल. मिश्रा एवं कृषि अधिकारियों, ऋचा सिंह, रूपाली पटेल, जया पालीवाल एवं रिचा तिवारी द्वारा जैविक हाट के सफल संचालन की जिम्मेदारी का प्रभावी निर्वहन किया गया।

5 घंटे कॉम्बिंग : गुंडे-बदमाशों की हुई धरपकड़

289 वारंटी, 13 चाकूबाज, 41 तस्करों को दबोचा

नवभारत, जबलपुर। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल की पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त की। 5 घंटे गुंडे-बदमाशों की धरपकड़ हुई। टीमों के द्वारा दबिश देते हुए कॉम्बिंग गश्त के दौरान कई वर्षों से फरार 120 गैर म्यादी वारिटयों एवं 91 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। 71 जमानती वारंट भी तामील किए गए है। अधिकांश आरोपी लंबे समय से पुलिस से बचते फिर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कॉम्बिंग गस्त के दौरान 13 चाकू एवं 1 बका सहित 14 आरोपी पकड़े गये, एवं सार्वजनिक स्थान में शराब पीने पिलाने एवं अवैध शराब के कारोबार में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये 58 लीटर देशी एवं 134 पाव देशी शराब जप्त की गई। इसके साथ ही कांबिंग गस्त के दौरान सक्रिय गुंडे बदमाशों को चेक करते हुए देर रात आने जाने वालों से रोक-टोक पूछताछ एवं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के साथ-साथ मुसाफिरखाना में संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग की गई। कॉम्बिंग गश्त रात्रि 9 बजे से रात्रि 2 बजे तक एएसपी अपराध जितेन्द्र सिंह, एएसपी यातायात सुश्री अंजना तिवारी, एएसपी पल्लवी शुक्ला, एएसपी ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षकों, उप पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी के मार्ग निर्देशन में कराई गई। कॉम्बिग गस्त के दौरान वारंटी एवं लंबित मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु शहर एवं देहात के थानों में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों की टीमें बनाई गई, एक टीम के प्रभारी थाना प्रभारी स्वयं थे, अन्य टीम के प्रभारी उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी थे इसके साथ ही क्राईम ब्रांच की टीमें भी लगाई गयी ।

होली पर क्षेत्र का निरंतर भ्रमण करेंगे एसडीएम

नवभारत, जबलपुर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को होलिका दहन और होली पर्व के दौरान कानून व्यवस्था की दृष्टि से अपने क्षेत्र का निरंतर भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के साथ सतत संपर्क में रहें और उनके साथ क्षेत्र का संयुक्त भ्रमण करें। उन्होंने होलिका दहन वाले स्थानों एवं संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने की हिदायत भी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को दी है।

सूचनातंत्र को मजबूत रखें, कहीं कोई चूक न हो : एसपी

▸ होली-रमजान पर्व को लेकर ली अधिकारियों की बैठक

नवभारत, जबलपुर। होलिका प्रतिमायें पारम्परिक स्थानों पर ही रखी जायें। इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों में आवश्यक रूप से भ्रमण करते हुये निगाह रखें, अपने सूचनातंत्र को मजबूत करें जिससे क्षेत्र में होने वाली छोटी से छोटी असामाजिक गतिविधियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। कहीं कोई चूक न हो । यह बातें पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने होली पर्व एवं रमजान पर्व के मददेनजर पुलिस कंट्रोल रूम में राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की बैठक लेते हुए कहीं। साथ ही थानावार की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा की गयी एवं लंबित अपराधों कें निराकरण के सम्बंध मे आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । आगे उन्होंने कहा कि दो पक्षों में जहॉ जहॉ भी पूर्व में विवाद हुआ है उनके विरूद्ध आवश्यक रूप से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुये सभी का फायनल बाउंड ओवर करवायें, ताकि बंधपत्र का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध धारा 122 जाफौ के तहत कार्यवाही की जाये। साथ ही एसपी ने कहा ऐसे समय में कुछ अशांतिप्रिय एवं विध्नसंतोषी तत्व सक्रिय रहते है, जिन पर सतत निगाह रखी जाये, अपने क्षेत्र मे भ्रमण करें, समाज के हर वर्ग के लोगो से आप सभी संवाद स्थापित करें, इससे आपको महत्वपूर्ण सूचनायें प्राप्त होंगी जो आने वाले दिनों में शांति एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने में काफी उपयोगी होगी। बैठक में एएसपी क्राइम जितेन्द्र सिंह, एएसपी जोन 2 सुश्री पल्लवी शुक्ला, एएसपी ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा समेत समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी शहर एवं देहात व चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।

ग्वारीघाट में द फूड काउंटर पर पुलिस की दबिश

▸ घरेलू सिलेंडरों का अवैध उपयोग करते पकड़ा गया हिस्ट्रीशीटर

नवभारत, जबलपुर। ग्वारीघाट पुलिस ने चंडी माई मंदिर के पास संचालित एक फूड स्टाल पर दबिश देकर न केवल सिलेंडर जब्त किए, बल्कि सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले हिस्ट्रीशीटर संचालक को भी गिरफ्तार किया। जानकारी अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि चंडी माई मंदिर के बाजू में स्थित द फूड काउंटर का संचालक राज यादव अपने स्टाल पर ग्राहकों के लिए फास्ट फूड तैयार करने में घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल कर रहा है। जब पुलिस टीम ने स्टाल पर घेराबंदी की, तो वहां एचपी कंपनी के 3 घरेलू सिलेंडर रेगुलेटर और पाइप सहित चूल्हे से जुड़े पाए गए। हैरानी की बात यह थी कि घनी आबादी और मंदिर के पास स्थित इस स्टाल पर अग्निशमन यंत्र या सुरक्षा का कोई भी उपकरण मौजूद नहीं था। व्यावसायिक कार्य में घरेलू सिलेंडर का उपयोग करना न केवल अवैध है, बल्कि यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 गैस सिलेंडर, पाइप और रेगुलेटर जप्त कर लिए हैं।

आरोपी पर दर्ज हैं एक दर्जन अपराध

पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान राज यादव (25) निवासी गली नंबर 1, बादशाह हलवाई मंदिर, ग्वारीघाट के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ पूर्व में हत्या, बलवा, अवैध वसूली, मारपीट और आबकारी एक्ट जैसे गंभीर प्रकृति के एक दर्जन से अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाड़ा

e-mail : eepwd1chhind@mp.nic.in

निविदा सूचना क्र. 10/व.ले.लि./2025-26/ | **निविदा आमंत्रण सूचना** | छिंदवाड़ा, दिनांक 25/02/2026

निम्नलिखित कार्यो हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र उक्त वेबसाईट पर ऑनलाईन भुगतान करने पर वेबसाईट के माध्यम से डाउनलोड की जा सकती है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि (रू. लाख में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	484694	छिंदवाड़ा	सड़क कार्य	सीताडोंगरी बम्हनी मार्ग लंबाई 16.00 कि.मी. एवं छिन्दीजोगीमुआर घाटामाली जुनाढाना कोहका दमुआ धमनिया मरकाढाना खिरेटी खुलसान बागबर्धिया झुर्रे मार्ग लं. 5.00 कि.मी. कुल 21.00 कि.मी. में विशेष मजबूतीकरण का कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	365.65	3,65,700/-	15,000/-	04 माह वर्षाऋतु सहित
2	484695	छिंदवाड़ा	सड़क कार्य	रा. रा. मार्ग क्रं. 347 से राज्य मार्ग कं. 19 के मध्य व्हाया रोहनाकलां गुरैया पोआमा मार्ग लंबाई 9.20 कि.मी. एवं कबाडिया सुरगी मेढकीताल मार्ग लं. 5.00 कि.मी. कुल लंबाई 14.20 कि.मी. में विशेष मजबूतीकरण का कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	364.00	3,64,000/-	15,000/-	04 माह वर्षाऋतु सहित
3	484696	छिंदवाड़ा	सड़क कार्य	हर्रई भेड़ा तेन्दनी जोगीवाड़ी हाथीखोह मार्ग लंबाई 6.00 कि.मी. एवं कोसमी कापरवाड़ी मार्ग लं.13.30 कि.मी. कुल लंबाई 19.30 कि.मी. में विशेष मजबूतीकरण का कार्य।(द्वितीय आमंत्रण)	330.17	3,30,200/-	15,000/-	04 माह वर्षाऋतु सहित
4	484697	छिंदवाड़ा	सड़क कार्य	चौरई बायपास मार्ग लंबाई 4.60 कि.मी. में विशेष मजबूतीकरण का कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	278.41	2,78,500/-	15,000/-	03 माह वर्षाऋतु सहित
5	484698	छिंदवाड़ा	भवन कार्य	लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्रं. 01 छिंदवाडा अंतर्गत शासकीय भवनों में अनुरक्षण विशेष मरम्मत एवं अन्य जमा निधि के कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	20.00	40,000/-	2,000/-	04 माह वर्षाऋतु सहित
6	484699	छिंदवाड़ा	सड़क कार्य	जिला न्यायालय छिंदवाडा में न्यायालय परिसर अंतर्गत तथा जजेस कॉलोनी में भवन मरम्मत / संधारण से संबंधित सभी कार्य (प्रथम आमंत्रण)	18.00	36,000/-	2,000/-	04 माह वर्षाऋतु सहित
7	484700	छिंदवाड़ा	सड़क कार्य	छिंदी नागरी घोडावाडी झिरिया धनोरा बिछुआ जुंगावानी मार्ग के कि.मी. 1 से 22 एवं कि.मी. 23 से कि.मी. 46 / 6 कुल लंबाई 45.50 कि.मी. का सर्वेक्षण कर विस्तृत प्राक्कलन एवं लेंड प्लान तैयार करने का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	16.51	33,100/-	2,000/-	03 माह वर्षाऋतु सहित
8	484701	छिंदवाड़ा	सड़क कार्य	राज्य मार्ग कं. 46 से चांद चंदनगांव वाघगांव लालगांव मेहदोन थोटा जमतरा (पेंच नेशनल पार्क) लं. 24.00 कि.मी. एवं पांदुर्णा वर्धा नदी मार्ग लं. 11.20 कि.मी. कुल लं. 35.20 कि.मी. का सर्वेक्षण कर विस्तृत प्राक्कलन एवं लेंड प्लान तैयार करने का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	13.07	26,200/-	2,000/-	03 माह वर्षाऋतु सहित
				कुल योग	1405.81 लाख			

टीप- निविदा का विस्तृत विवरण (टेण्डर डाक्यूमेंट)म.प्र. शासन की निविदा पोर्टल पर देखा जा सकता है। निविदा ऑनलाईन क्रय करने की अंतिम तिथि 14/03/2026 समय शाम 17:30 बजे तक है। ऑनलाईन प्राप्त निविदा ऑफर को मान्य किया जायेगा। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाईट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेंगा।

(आकाश खरे)
कार्यपालन यंत्री लो. नि. वि.(भ/स)
संभाग छिन्दवाड़ा म.प्र.

जी-26668/25 | स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता

मिट्टी के चूल्हे के पास बैठा था पांच फीट लंबा सांप

जबलपुर। संजीवनी नगर थानांतर्गत ग्राम अंधुआ निवासी मयंक चौधरी के घर में बने मिट्टी के चूल्हे के पीछे सांप बैठा देखकर परिजनों में दहशत व्याप्त हो गई। सांयकाल साढ़े पांच बजे मयंक चौधरी ने सर्प विशेषज्ञ गजेन्द्र दुबे को सूचना दी।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं विनय चन्द जैन, उम्र 61 वर्ष, पिता-स्व. श्री प्रीतम चन्द जैन, निवासी-म.नं. B/39, साकार उदय, तुलसी नगर, चेरीताल, जबलपुर (म.प्र.) शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि मैं जन्म से भारतीय हूं एवं मुझे भारतीय नागरिकता प्राप्त है। समस्त आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड नं. 8589 4890 9835, पेन कार्ड, बैंक पासबुक एवं समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम विनय चन्द जैन, पिता-स्व. श्री प्रीतम चन्द जैन दर्ज है।

किन्तु मेरे पुत्र आकाश जैन के कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम विनय जैन दर्ज हो गया है। विनय चन्द जैन, पिता-स्व. श्री प्रीतम चन्द जैन एवं विनय जैन, ये दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के यानी मेरे ही हैं और मैं इन दोनों ही नामों से जाना एवं पहचाना जाता हूं।

पुराना नाम- विनय जैन
नया नाम - विनय चन्द जैन

डिमांड नोटिस

जबकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (नीचे बताए गए ट्रस्टों के लिए ट्रस्टी के तौर पर काम करते हुए) (जिसे इसके बाद "ARCIL" कहा जाएगा) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत रजिस्टर्ड है और सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (जिसे इसके बाद "SARFAESI एक्ट" कहा जाएगा) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है और जबकि नीचे दिए गए चार्ट के कॉलम नंबर 2 में बताए गए कर्जदार/सह-कर्जदारों ने IIFL-होम फाइनेंस लिमिटेड, जो मूल कर्जदाता हैं, से लोन लिया था और जबकि ARCIL ने नीचे बताए गए लोन खातों से संबंधित फाइनेंशियल एसेट्स हासिल कर लिए हैं और जबकि ARCIL SARFAESI एक्ट के तहत सुरक्षित लेनदार है, और उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002 के नियम 2 के साथ, नीचे बताए गए कर्जदारों/सह-कर्जदारों को डिमांड नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में बताई गई राशि को उस पर लगने वाले ब्याज के साथ चुकाने के लिए कहा गया है, लेकिन कुछ लोगों को अलग-अलग कारणों से नोटिस नहीं दिए जा सके।

ट्रस्ट का नाम Arcil Trust 2026 015

लोन लेने वाले/गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तारीख और रकम	सिक्योर्ड एसेट (अचल प्रॉपर्टी) का विवरण
श्रीमती अभिलाषा गोटिया श्री अनिल कुमार गोटिया (प्रॉस्पेक्ट नं. 903083 और आईएल10194964)	13 जनवरी 2026, रुपये 897276/- (रु. आठ लाख सन्तानवे हज़ार दो सौ छिहत्तर मात्र) 903083 के लिए और रुपये 334723.65/- (रु. तीन लाख चौंतीस हज़ार सात सौ तेईस और पैसा पैंसठ मात्र) आईएल10194964 के लिए	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो इस प्रकार है- प्लॉट संख्या 60, एनबी 162 पीएच नं. 33/28 नया 07, महाराणा प्रताप वार्ड, खसरा संख्या 75 भुक्म्य कॉलोनी, जबलपुर, समृद्धि होम्स जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत, 482002 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र: 750.00, 750.00

इसलिए, ऊपर बताए गए उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे कहा जाता है कि वे इस नोटिस के पब्लिकेशन के 60 दिनों के अंदर, संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के खिलाफ ऊपर दिखाई गई कुल बकाया राशि का पेमेंट करें. यदि संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता कुल बकाया राशि का पेमेंट आगे के ब्याज के साथ करने में विफल रहते हैं, तो ARCIL ऊपर बताई गई प्रॉपर्टी पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लागू करने के लिए धारा 13 (4) के तहत कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अन्य तरीकों से नोटिस देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं. आपको सूचित किया जाता है कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (8) में बताए अनुसार, सार्वजनिक नीलामी या बिक्री द्वारा ट्रांसफर के लिए निजी समझौते के नोटिस के पब्लिकेशन की तारीख से पहले किसी भी समय, Arcil द्वारा किए गए खर्चों, शुल्कों और व्ययों के साथ पूरी बकाया राशि का पेमेंट करके उक्त गिरवी को भुनाया जा सकता है.
ध्यान दें कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, आपको इसके द्वारा सुरक्षित प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से ट्रांसफर करने और/या उससे निपटने से रोका जाता है.

स्थान: जबलपुर, दिनांक 2-3-2026 | हस्ता. अधिकृत अधिकारी, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. (न्यासी के रूप में)

एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. | सीआईएन नं. U65999MH2002PLC134884

रजिस्टर्ड ऑफिस:- द रूबी, 10वां माला, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (वेस्ट) मुंबई-400028 टेलीफोन- 2266581300, वेबसाइट: www.arcil.co.in

झपट्टा मारकर लूटा मोबाइल

नवभारत, जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत लाल मंदिर के पास रविवार सुबह स्कूटी सवार लुटेरों ने झपट्टा मारकर युवक का मोबाइल लूट लिया । पुलिस के मुताबिक रविवार दोपहर में अरविंद रजक 36 वर्ष निवासी संस्कार कॉलोनी अधारताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह कारपेंटर का काम करता है सुबह लगभग 09:45 से 10:30 बजे के बीच सुराही बिल्डिंग से पदैल-पैदल काम पर चंडाल भाटा जाने के लिये धनी कुटी रोड से मेनरोड की तरफजा रहा था उसी दौरान अपने मोबाइल से जरूरी बात कर रहा था कि लाल मंदिर के पास पहुँचा तभी पीछे से काले रंग की बिना नंबर की स्कूटी में सवार दो लडके उम्र लगभग 25 वर्ष के आये और उसके हाथ से मोबाइल कीमती करीब 10,000 रूपये का झपटकर धनी कुटीया तरफभाग गये है।

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

PhoenixARC

पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, वालेस टॉवर 139-140/बी/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे विले पार्ले (पूर्व) मुंबई - 400 057. टेलीफोन: 022-6849 2450, फैक्स: 022-6741 2313
सीआईएन: U67190MH2007PTC168303
ई-मेल: info@phoenixarc.co.in, वेबसाइट: www.phoenixarc.co.in.

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड - असाइनर के नाम से जाना जाता था) द्वारा ऋण के असाइनमेंट के अनुसार फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड को गिरवी रखी गई नीचे उल्लिखित सम्पति को 'जैसी है, जैसी है और बिना किसी सहारे के' 'ऑनलाइन ई-नीलामी' के माध्यम से बेचा जाएगा, ताकि बकाया राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली की जा सके, जैसा कि नियम 8 और 9 के साथ पढ़े गए SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे विस्तार से बताया गया है. प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002) के अनुसार वेबसाइट www.phoeni&arc.co.in/ के माध्यम से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार

नीलामी की तिथि और समय: 8-4-2026/11.00 पूर्वाह्न से 02.00 अपराह्न (प्रत्येक 15 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

क्र.	उधारकर्ता/गारंटर/ऋण खाता	मांग नोटिस तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, ईएमडी और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि
1.	LAN: LXJAB00316-170030815. शाखा: जबलपुर ऋणकर्ता: मनीष प्रभाकर बापट सह-ऋणकर्ता: बीना मनीष बापट	18-01-2019 रुपये 1980512/- (रुपये उन्नीस लाख अस्सी हज़ार पाँच सौ बारह मात्र)	प्लॉट संख्या 1, खसरा संख्या 944, 945, 946 947, नव संख्या 212, पी एस संख्या 8, आरएनएम पनागर ब्लॉक, पनागर मौजा पनागर आज़ाद वार्ड 3, तहसील पनागर जिला अलोयसिस स्कूल 482001 जबलपुर, मध्य प्रदेश	आरक्षित मूल्य: रुपये 500000/- (रुपये पाँच लाख मात्र) ईएमडी: रुपये 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 07-04-2026

ई-नीलामी के नियम और शर्तें- 1. नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है. बोलीदाता बोली लगाने की जानकारी और सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और बोली फॉर्म जो ऑनलाइन जमा किया जाएगा, के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, M/S ARCA EMART PRIVATE LIMITED के वेब पोर्टल: https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं. इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम और शर्तों और प्रक्रिया को देख सकते हैं और तरुण रघुवंशी 9329414448, पंकज पांडे- 9340143244, शैलेष आयंगर 9833801159 से संपर्क कर सकते हैं, विवरण ऊपर उल्लिखित वेब पोर्टल में उपलब्ध है और उनके केंद्रीकृत हेल्प डेस्क +91 83709 69696, ई-मेल आईडी contact@auctionbazaar.com से संपर्क कर सकते हैं. 2. सभी इच्छुक क्रेता बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित पोर्टल https://www.auctionbazaar.com/ पर अपना नाम पंजीकृत करना आवश्यक है और पूर्वोक्त तिथि और समय पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए मुफ्त में यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा. 3. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को सुरक्षित संपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% की वापसी योग्य बयाना राशि के भुगतान का विवरण, पैनकार्ड की प्रतियों, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण के साथ ऊपर उल्लिखित ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले जमा करना होगा, इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित प्रत्येक वस्तु/संपत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना आवश्यक है. 4. नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी को स्थगित कर सकता है. 5. सफल खरीदार/बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को अपने पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करने के लिए भुगतान किए जाने वाले किसी भी वैधानिक बकाया, देय कर शुल्क, खरीद विचार पर लागू जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा. 6. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई सुरक्षित संपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों, जिसमें वैधानिक बकाया आदि शामिल हैं, के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए. नीलामी विज्ञापन फीनिक्स की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही करेगा. फीनिक्स का अधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाए के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा. 7. संभावित/इच्छुक बोलीदाता को एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी कि वह दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29 (ए) के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है और केवाईसी दस्तावेजों के साथ इस तरह के वचनबद्धता को प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, वह स्वतः ही अयोग्य हो जाएगा या उसकी बोली खारिज कर दी जाएगी.

स्थान: मध्य प्रदेश | एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 2.3.2026 | अनुवाद में त्रुटियां/विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा. | फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

PhoenixARC

पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, वालेस टॉवर 139-140/बी/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे विले पार्ले (पूर्व) मुंबई - 400 057. टेलीफोन: 022-6849 2450, फैक्स: 022-6741 2313
सीआईएन: U67190MH2007PTC168303
ई-मेल: info@phoenixarc.co.in, वेबसाइट: www.phoenixarc.co.in.

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉरपोरेशन लि